राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight Jagran.com

विजय शंकर का नंबर चार पर असफल रहना भारत के लिए बड़ा सिरदर्द

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 15

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 25 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

हमारी सरकार

मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री

तब के बागी, अब शांत और मिलनसार

● पेज 5

सरोकार

गृहलक्ष्मियों के हाथ खुशहाली का खजाना

लोहरदगा : महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। झारखंड में महिलाओं

का यह नैसर्गिक गुण अब बड़े फलक पर आकार लेता दिख रहा है। लोहरदगा जिले की 36 महिला मंडलों की सदस्य अपने-अपने आजीविका महिला समूहों के माध्यम से गांवों में मिनी बैंक चला रही हैं। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

उप्र में कांग्रेस की जिला इकाइयां भंग, कायाकल्प की शुरुआत

नई दिल्ली : कांग्रेस ने उप्र में लोकसभा चुनाव के सदमे से उबरने की शुरुआत करते हुए सूबे की सभी जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की पहल भी कर दी है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

भीड़ की पिटाई के बाद युवक की मौत में दो थानेदार निलंबित

जमशेदपुर : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में भीड़ की पिटाई के बाद युवक की हिरासत में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद खरसावां थाना प्रभारी और सीनी के ओपी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण बड़ा रोड़ा : गडकरी

नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण में देरी सड़क परियोजनाओं में विलंब का मुख्य कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कही। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में विलंब की प्रमुख वजह भूमि अधिग्रहण में देरी होना है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

अमेरिका ने ईरान पर लगाए कड़े प्रतिबंध

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगेंगे और अमेरिकी क्षेत्र में तेहरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे अधिकारी बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।

क्रिकेट महाकुंभ
इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : लंदन
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर आचार्य का इस्तीफा

छोड़ा पद ▶ कार्यकाल पूरा होने में अभी बचे थे छह माह, उर्जित पटेल के बाद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले दूसरे वरिष्ठ अधिकारी

पिछले वर्ष सरकार और आरबीआइ के बीच मतभेद को किया था सार्वजनिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के डिप्टी गवर्नर और बैंक में सरकार की दखल के मुखर विरोधी डॉ. विरल वी आचार्य ने कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। आचार्य आरबीआइ के नकदी भंडार में से सरकार को कुछ भी हस्तांतरित करने के सख्त खिलाफ रहे हैं। वैसे तो आचार्य ने कहा है कि वे कुछ बेहद अपरिहार्य व्यक्तिगत वजहों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आम बजट से ठीक पहले उनके इस्तीफे से आरबीआइ और सरकार में नीतिगत मुद्दों पर मतभेद के कयास गहरा गए हैं। आरबीआइ ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि आचार्य ने पिछले हफ्ते ही इस्तीफा दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

पटेल के बाद निर्धारित कार्यकाल से पहले इस्तीफा देने वाले आचार्य केंद्रीय बैंक के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं। इससे पहले पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कार्यकाल तो पूरा किया था, लेकिन उनकी विदाई के समय भी सरकार से उनके मनमुटाव के कयास लगाए गए थे जो सही साबित हुए। आचार्य के इस्तीफे के बाद

विरल आचार्य की फाइल फोटो। रायटर

इस्तीफे की ये वजहें संभव

- रिजर्व बैंक के गवर्नर से विकास और महंगाई पर मतभेद
- 15 मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया, केवल दो में रेपो रेट में कटौती का समर्थन किया
- उर्जित पटेल की टीम का हिस्सा माना जाता था, उनके जाने के बाद से ही था इस्तीफे का कयास

अब आरबीआइ में तीन डिप्टी गवर्नर रह गए हैं- एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन।

यहां से बढ़ी तल्खी : आचार्य ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एक सार्वजनिक भाषण में सरकार और आरबीआइ के बीच बढ़ रहे तनाव को सामने ला दिया था। उन्होंने आरबीआइ के रिजर्व फंड के इस्तेमाल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियंत्रण और कर्ज वितरण की नीतियों पर सरकार की तरफ से पड़ते दबाव का उल्लेख किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर इस तरह का हस्तक्षेप चलता रहा तो इसके काफी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनके इस बयान को वित्त मंत्रालय के सचिव ने खारिज करते हुए निंदा की थी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस पर अपनी असहमति जताई थी। लेकिन आचार्य की बात कुछ ही दिनों बाद सच साबित हुई जब केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआइ के ऊपर विशेष अधिकार का उपयोग किया गया। इसके एक हफ्ते बाद ही पटेल ने इस्तीफा दे दिया।

सरकार से दूरी बढ़ती ही गई : आचार्य और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव वहीं पर खत्म नहीं हुआ। सरकार ने पूर्व राजस्व सचिव शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया। दास उसके बाद तीन बार मौद्रिक नीति की समीक्षा कर चुके हैं और हर बार रेपो रेट में 25-25 आधार अंकों की कटौती की जा चुकी है। लेकिन इसके लिए होने वाले मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक का ब्योरा देखें तो साफ हो जाता है कि डॉ. आचार्य कभी ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं थे। दो बार उनका विरोध था जबकि इस महीने उन्होंने कुछ शर्तों के साथ समर्थन किया था।

राजनीति भी हुई शुरू : कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, 'देश की आर्थिक बदहाली पर सरकार को आईना दिखाने वाले एक और अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। अभी तक चार आर्थिक सलाहकार, दो आरबीआइ गवर्नर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।'

यह है आचार्य की शख्सियत : आचार्य आइआइटी बांबे के छात्र रहे हैं। उन्होंने 1995 में कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग में स्नातक और 2001 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में पीएचडी की है। वर्ष 2001 से 2008 तक आचार्य लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ाते रहे। 45 वर्षीय आचार्य को तीन वर्षों के लिए 23 जनवरी, 2017 को आरबीआइ में डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। माना जा रहा है कि अब वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न बिजनेस स्कूल में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे।

बाजार को हैरानी नहीं : डॉ. विरल आचार्य के इस्तीफे से शेयर बाजार को कोई हैरानी नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआइ के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद ही आचार्य के भी इस्तीफे की भी अटकलें तेज हो गई थीं। आचार्य मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली छह सदस्यीय समिति में एकमात्र डिप्टी गवर्नर रहे हैं।

मोदी सरकार को छोड़ गए ये पेज>>4

केंद्रीय बैंक की आजादी के पक्ष में यह कहा था

- **आरबीआइ की आजादी देश की आर्थिक तरक्की और वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है। केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को यदि कमतर आंका गया तो इसके घातक नतीजे हो सकते हैं।**
- **कई देशों में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जा रहा है। जो सरकारें अपने केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करतीं, उन्हें देर-सवेर वित्तीय बाजार के आक्रोश का सामना करना पड़ता है।**

आरबीआइ में ढाई साल से लगातार बदलाव

- **रिजर्व बैंक पिछले ढाई साल से लगातार बदलाव देख रहा है। शुरुआत नीति निर्माण के ढांचे में परिवर्तन से हुई। नीतिगत दरें तय करने का काम छह सदस्यीय समिति को दे दिया गया। विशेषज्ञों ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया था। इसके बाद पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। तभी से आचार्य के पद छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं।**

बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की हो रही मौत पर सोमवार को चिंता जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र व बिहार सरकार से विशेषतौर पर राज्य में चिकित्सा सुविधाओं, पोषण और साफ-सफाई पर सात दिनों में हलफनामा मांगा है। मामले पर दस दिनों बाद फिर सुनवाई होगी। बिहार में चमकी बुखार, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से अभी तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।

जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने मनोहर प्रताप की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में बिहार के विभिन्न जिलों में एईएस से 150 बच्चों की मौत का गंभीर मामला उठाया गया है। यह मामला स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण और साफ-सफाई से जुड़ा है। सरकार को जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि जरूरी उपाय किए जा रहे हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। कोर्ट ने याचिका में प्रतिवादी बनाई गई केंद्र सरकार, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से सात दिनों में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सरकारों को विशेष तौर पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, पोषण की स्थिति और साफ-सफाई की स्थिति पर जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बच्चों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश से भी रिपोर्ट मांगी है।

मनोहर प्रताप ने याचिका में केंद्र और बिहार सरकार को इलाज का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम रही है इसलिए कोर्ट और केंद्र सरकार मामले में दखल दे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को प्रभावितों के इलाज के लिए बिहार में करीब 500 आइसीयू और 100 मोबाइल आइसीयू की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक आदेश जारी करे जिसमें निजी अस्पतालों को बीमार बच्चों का मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था हो।

(संबंधित खबरें पेज-6 पर)

संगठन ही नहीं, अब संदिग्ध व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकेगा आतंकी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **कैबिनेट से मिली एनआइए और यूएपीए में दो संशोधनों को हरी झंडी**
- **साइबर अपराध के मामलों की भी जांच कर सकेगी एनआइए**

अब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) से जुड़े दो संशोधनों को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि इन दोनों संशोधनों से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। मौजूदा समय में केवल आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।

उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार पहले संशोधन के तहत एनआइए को और मजबूत किया जाएगा और उसे साइबर अपराध और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के अधिकार भी दिये जाएंगे। मुंबई हमलों के बाद 2009 में बने एनआइए को फिलहाल केवल आतंकी हमलों की जांच का अधिकार है। वहीं यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने का रास्ता साफ किया जाएगा। अभी तक केवल वही व्यक्ति आतंकी माना जाता था, जो किसी आतंकी संगठन का सदस्य हो। व्यक्तिगत रूप से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केवल संगठनों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने से ऐसे लोगों के बचने की संभावना थी, जो बिना किसी संगठन में शामिल हुए ही व्यक्तिगत स्तर पर किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त हों। प्रस्तावित संशोधन में एनआइए को किसी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आतंकी घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। एक बार आतंकी घोषित होने के बाद उस संदिग्ध व्यक्ति से साथ आर्थिक लेन-देने करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आइएसआइएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के प्रेरित होकर आतंकी बनने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना आसान होगा।

मोटर वाहन विधेयक में संशोधन को हरी झंडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

यह विधेयक इससे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। सूत्रों ने बताया, विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। ओला, उबर जैसे समूहों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर होगा हजार रुपये का जुर्माना पेज>>4

मायावती ने तोड़ा गठबंधन, सपा पर फोड़ा ठीकरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- **बसपा प्रमुख ने कहा, पार्टी भविष्य में सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले लड़ेगी**

लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए तकरीबन साढ़े पांच माह पहले साथ आये अखिलेश और मायावती की राहें अब बिल्कुल जुदा हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीन ट्वीट कर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का एलान कर दिया। उन्होंने अब सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ठीकरा सपा पर ही फोड़ा है। वैसे लोकसभा चुनाव में गठबंधन से बेहतर नतीजे न आने के बाद अकेले ही उप चुनाव लड़ने की घोषणा कर मायावती ने पिछले दिनों ही इस तरह के स्पष्ट संकेत दे दिए थे।

रविवार को पार्टी के देशभर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सोमवार को मायावती ने आधिकारिक रूप से एलान कर दिया कि अब आगे सपा के साथ गठबंधन संभव नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया- 'लोकसभा चुनाव के बाद सपा का व्यवहार बीएसपी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा कर बीजेपी को

मायावती फाइल फोटो

आगे हरा पाना संभव होगा? जो संभव नहीं है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में अब बीएसपी आगे होने वाले सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले अपने बूते पर ही लड़ेगी।'

इससे पहले मायावती ने ट्वीट किया-'वैसे भी जगजाहिर है कि सपा के साथ सभी पुराने गिले-शिकवों को भुलाने के साथ-साथ सन 2012-17 में सपा सरकार के बीएसपी व दलित विरोधी फैसलों, प्रमोशन में आरक्षण विरुद्ध कार्यों एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था आदि को दरकिनार कर देश व जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाया।'

बसपा प्रमुख ने एक ट्वीट में मीडिया पर भी निशाना साधा-'बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक रविवार को लखनऊ में ढाई घंटे तक चली। इसके बाद राज्यवार बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा जिनमें भी मीडिया नहीं था। फिर भी बीएसपी प्रमुख के बारे में जो बातें मीडिया में फ्लैश हुई हैं, वे पूरी तरह से सही नहीं हैं जबकि इस बारे में प्रेस नोट भी जारी किया गया था।'

कांशीराम-मुलायम से भी कम रहा माया-अखिलेश का साथ : गत 12 जनवरी 2019 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड को किनारे करते हुए सपा से गठबंधन किया तो इसके लंबे चलने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन छह माह से भी कम समय में मायावती और अखिलेश के रास्ते अलग हो गए। 1993 में कांशीराम और मुलायम ने जो गठबंधन किया था वह करीब डेढ़ वर्ष चला और गेस्ट हाउस कांड के कारण जून 1995 में टूटा था। (पेज-5 भी देखें)

ओबीसी क्रीमीलेयर के दायरे में बढ़ोतरी की सिफारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उत्थान के लिए गठित कमेटी ने क्रीमीलेयर के आय दायरे को एक निश्चित अंतराल पर बढ़ाने की सिफारिश की है। कमेटी ने सरकार को इसे लेकर एक रिपोर्ट भी दी है जो सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के खर्चों के बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में क्रीमीलेयर के आय दायरे में बढ़ोतरी जरूरी है। मौजूदा समय में ओबीसी क्रीमीलेयर का दायरा सालाना आठ लाख रुपये है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में ओबीसी आरक्षण के लिए नॉन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी सिफारिश पर अमल न होने पर नाखुशी भी जताई है। कमेटी का कहना है कि इस सर्टिफिकेट को जारी करने की सहमति 1993 में दिए गए निर्देशों में ही दी गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ।

कमेटी ने जरूरी उपाय करने को कहा पेज>>6

धनोआ ने कहा, 2002 में भी वायुसेना ने आतंकियों पर गिराए थे लेजर गाइडेड बम

नईदुनिया, ग्वालियर

- **वायुसेना ने पहली बार स्वीकारा, बालाकोट से पहले भी की थी स्ट्राइक**
- **कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर ग्वालियर पहुंचे थे वायुसेना प्रमुख**

2002 के ऑपरेशन पराक्रम पर पहली बार वायुसेना ने आधिकारिक स्वीकारोक्ति दी है। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर ग्वालियर एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि बालाकोट से पहले भी एलओसी पर भारतीय वायुसेना ने दो अगस्त, 2002 में पराक्रम दिखाया है। इस दौरान वायुसेना प्रमुख की बात को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल एयर कमांड के सीएनसी राजेश कुमार ने कहा कि 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान केएल सेक्टर में एलओसी पर एयरफोर्स ने आतंकियों पर फाइटर जेट से लेजर गाइडेड बम गिराए थे। इस दौरान वायुसेना प्रमुख धनोआ ने यह भी स्वीकार किया कि अगर बालाकोट के समय हमारे पास राफेल होते तो परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर होते।

पाकिस्तानी विमान नहीं घुस पाए थे हमारी सीमा में : वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि

कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते धनोआ। नई दुनिया

भारतीय एयर स्ट्राइक के दूसरे दिन यानी 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के एफ-16 विमानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि अपने एयर स्पेस से ही भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में कहा कि कितने आए, कहां गए, कैसे किया और किस तरह का कॉम्बैट हुआ... हमने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव किया। उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया।

एयर स्ट्राइक से बिगड़ी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था : पाकिस्तान के बंद एयर स्पेस पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तनाव के बावजूद हमारा सिविल एविएशन बाधित नहीं हुआ। वहीं, पिछले तीन माह से पाक ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। यह उनकी समस्या है। इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।

एएन-32 पहाड़ों में उड़ते रहेंगे : वायुसेना प्रमुख ने एएन-32 विमानों के मुद्दे पर कहा कि एएन-32 अभी पहाड़ों में उड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी रिप्लेसमेंट नहीं है। हम मॉर्डन एयरक्राफ्ट लेने की प्रक्रिया में हैं। जब आ जाएंगे तो अहम कार्यों में उनका इस्तेमाल करेंगे और एएन-32 को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एएन-32 का इस्तेमाल जारी रहेगा।

मिलेगी राहत

अगले दो दिनों में पूर्वी और उत्तरी राज्यों में बरसने लगेंगे बादल, 30 जून तक सभी प्रमुख राज्यों तक पहुंच जाएगा मानसून

इस सप्ताह दिल्ली में दस्तक देगा मानसून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हफ्ते भर की देरी से आकर धीमी गति से चलते हुए मानसून देश के लगभग आधे हिस्से तक पहुंच गया है। अगले 48 घंटे में पूर्वी और उत्तरी राज्यों में झमाझम बरसात का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून 29 जून तक दस्तक देगा, जबकि 30 जून तक देश के लगभग सभी प्रमुख राज्य मानसून की बारिश से सराबोर हो जाएंगे।

मौसम एजेंसी स्काईमेट का पूर्वानुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो दिनों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक फैल जाएगा और इन राज्यों में झमाझम बरसात होगी। मध्य भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों के साथ दक्षिण भारत में मानसून की बारिश की गति बढ़ेगी। दक्षिणी क्षेत्र में केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरुनी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर भारी बरसात होने का अनुमान है। स्काईमेट के मुताबिक 30 जून तक सभी प्रमुख राज्यों तक पहुंच जाएगा।

मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. के सती देवी ने बताया कि दिल्ली में मानसून के 29 जून तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पास चक्रवात जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए यहां तेज गरज के साथ भारी बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम का हाल पहले से बेहतर हो रहा है। मानसून मध्य अरब सागर से आगे बढ़ रहा है और कोंकण क्षेत्र तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले तीन दिनों के दौरान मानसून ने गति पकड़ी है और वह पूरे दक्षिण और पूर्वी भारत तक पहुंच गया है। इसके साथ ही बारिश की मात्रा भी बढ़ रही है। पिछले हफ्ते जहां 44 फीसद कम बारिश दर्ज की गई थी, वहीं इस हफ्ते यह घटकर 38 फीसद पर आ गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के 90 फीसद भाग में मानसून पहुंच गया है। अगले चार से पांच दिनों में मुंबई, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र में 26 से 28 जून के बीच भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में भी अगले चौबीस घंटे में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।

इस महीने अन्न उत्पादक राज्यों में दिखेगी सक्रियता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **खरीफ की बोआई पर फिलहाल कोई असर नहीं : कृषि आयुक्त**

शुरुआती शिथिलता के बाद अब देश के प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में मानसून की सक्रियता से खरीफ सीजन में अच्छी खेती की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जून के आखिर तक मानसून मध्य, दक्षिण और और पूर्वी भारत पर छा जाएगा। इन राज्यों में यही वक्त खरीफ फसलों की बोआई का सबसे अच्छा समय होता है।

कृषि आयुक्त सुरेश कुमार मल्होत्रा का कहना है कि खरीफ फसलों की बोआई के लिए किसानों की जरूरतों के हिसाब से पूरा बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया है। प्रमुख रूप से दलहन बीज किसानों तक पहुंच गया है। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें किसानों के खाते में जमा करा दी गई हैं।

कृषि आयुक्त मल्होत्रा ने बताया कि आमतौर पर खरीफ सीजन की फसलों की बोआई 20 जून से 15 अगस्त के बीच होती है। इस पर मानसून आने में एक सप्ताह की देरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्षा आधारित खेती वाले राज्यों में तटीय हिस्से को छोड़कर बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ जैसे पाकेट में थोड़ी देरी से होने वाली बारिश का कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विभाग के साथ उनका लगातार समन्वय है, जिससे पता चला है कि मानसून की बारिश समान रूप से हो रही है। इसका फायदा खेती को मिलेगा। दलहन फसलों में उड़द जहां 90 दिन में तैयार होती है, वहीं मूंग जैसी फसल केवल 70 से 75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। लेकिन मानसून की पहली बारिश के साथ ही अरहर की खेती हो जाती है, जिसे पकने में पांच महीने तक का समय लग जाता है।

गुरमीत की पैरोल पर हरियाणा सरकार को नहीं ऐतराज

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार डेरा सच्चा सौदा के संचालक गुरमीत राम रहीम की पैरोल में अड़ंगा नहीं डालेगी। साध्वी यौन प्रकरण में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत को पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश करते हुए अंतिम फैसला मंडल आयुक्त पर छोड़ा गया है। सरकार के मंत्रियों से लेकर गृह सचिव एसएस प्रसाद से मिले संकेतों को समझें तो डेरामुखी जल्द ही पैरोल पर जेल से बाहर हो सकता है। सरकार को इससे कोई ऐतराज नहीं है।

नियमानुसार दो साल की सजा काट चुका कैदी पैरोल की मांग कर सकता है। इसी को आधार बनाते हुए डेरामुखी ने सिरसा स्थित जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए पैरोल मांगी है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट स्थानीय उपायुक्त को सौंप दी है जिस पर अब मंडलायुक्त फैसला लेंगे। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरमीत के अपने नाम से कोई जमीन नहीं है। उसके आश्रम और संस्था के नाम पर जमीन बताई गई है।

बताया जाता है कि जेल प्रशासन राम रहीम के अच्छे आचरण और जेल में किसी से विवाद नहीं होने का हवाला देकर पैरोल देने के लिए राजी है। इससे पहले डेरामुखी ने अप्रैल में सिरसा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, जिसे बाद में उसने वापस ले लिया।

साध्वी से दुष्कर्म मामले में दो साल पहले पंचकूला की विशेष सीबीआइ अदालत ने राम रहीम को सजा सुनाई थी। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश सरकार के डेरामुखी को राहत देने संबंधी फैसले को डेरे से जुड़े बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के मंत्री डेरामुखी को सजा में अपना हाथ होने से इन्कार करते रहे हैं। जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार का कहना है कि राम रहीम को पैरोल मिलना उनका अधिकार है। अगर नियमों के तहत पैरोल मिल सकती होगी तो मिलेगी। (पेज-4 भी देखें)